"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 नवम्बर 2010—कार्तिक 28, शक 1932

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, खुमन लाल साहू पिता पुनीत राम साहू, उम्र-34 वर्ष, निवासी-क्वाटर नं.- 11 ए, सड़क नं.-09, सेक्टर- 5, भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम खुमन लाल दर्ज है, जिसमें मैं आपने उपनाम "साहू" को जोड़कर अपना नाम खुमन लाल साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे खुमन लाल साहू पिता पुनीत राम साहू के नाम से जाना, पहचाना व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
खुमन लाल पिता - पुनीत राम निवासी-क्वाटर नं. 11-ए सड़क नं. -9, सेक्टर-5 भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	खुमन लाल साहू पिता - पुनीत राम साहू निवासी-क्वाटर नं. 11-ए सड़क नं. -9, सेक्टर-5 भिलाई, तह. व ज़िला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बजरंगी प्रसाद आत्मज श्री सिध्दू प्रसाद, आयु-55 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 1-ए, सड़क नं. - 28 **सेक्टर -1, भिलाई,** तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई स्टील प्लांट में एस. एम. एस.-1 में मास्टर आफ आपरेटिव्ह के पद कार्यरत हूं. **मेरे कार्यालयीन** अभिलेखों में मेरा नाम बजरंगी प्रसाद दर्ज है, तथा मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम बजरंगी सिध्दू हरिजन एवं वर्तमान में मेरे वेतन-पर्ची में **मेरा नाम** बजरंगी हरिजन भूलवश लिखा हुआ है जो कि त्रूटिपूर्ण है जिसे सुधार करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे बजरंगी प्रसाद आ. सिध्दू प्रसाद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
बजरंगी हरिजन बजरंगी सिध्दू हरिजन पिता - स्व. सिध्दू हरिजन निवासी-क्वाटर नं. 1-ए सड़क नं. -28, सेक्टर-1 भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	बजरंगी प्रसाद पिता - स्व. सिध्दू प्रसाद निवासी-क्वाटर नं. 1-ए सड़क नं. -28, सेक्टर-1 भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2010

प्रकरण क्र. 16 ब/113 (1) वर्ष 2009-10

क्रमांक/396/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2010.— एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री प्रदीप अग्रवाल अध्यक्ष श्री वल्लभ प्रेम सेवा समाज ट्रस्ट लोकमान्य गृह निर्माण समिति रोहणिपुरम रायपुर ने श्री वल्लभ प्रेम सेवा समाज ट्रस्ट लोकमान्य गृह निर्माण समिति रोहणिपुरम रायपुर का पंजीयन छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अनुसार दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

उक्त संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति को अभिरुचि हो और इस संबंध में कोई आक्षेप दावा/आपत्ति करने का इच्छुक हो तो वे दिनांक 29-11-2010 तक न्यायालयीन अवधि में स्वयं या अपने अधिवक्ता/एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	श्री वल्लभ प्रेम सेवा समाज ट्रस्ट लोक मान्य गृह निर्माण समिति रोहणिपुरम रायपुर.
2.	चल संपत्ति	:	रु. 5000/-
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 22-10-2010 को जारी.

तारन प्रकाश सिन्हा,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

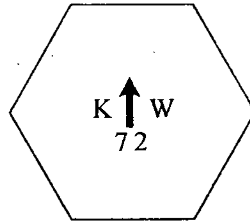
अन्य सूचनाएं

वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल, कवर्धा

कवर्धा, दिनांक 3 नवम्बर 2010

क्रमांक/मा. चि./11139.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न दर्शित बीट हेमर रेंगाखार परिक्षेत्र के शीतलपानी **बीट हेतु चा. क्र.** के. डब्ल्यू. 04 दिनांक 16-01-87 द्वारा जारी किया गया था. उक्त बीट के प्रभारी श्री अलीदास भाषत, वन रक्षक द्वारा वनक्षेत्र में भ्रमण के दौरान उक्त **हेमर जंगल** में कहीं पर गिर गया. गुमशुदा हेमर की खोजबीन किया गया लेकिन हेमर नहीं मिला.

परिक्षेत्र अधिकारी रेंगाखार के पत्र क्रमांक 553 दिनांक 28-08-2010, 565 दिनांक 30-08-2010 का अवलोकन करने के बाद **निम्न आदेश** पारित किया जाता है.



आदेश

आदेश क्रमांक/1188 कवर्धा, दिनांक 3-11-2010

वन वित्तीय नियम की धारा 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त बीट हेमर अभिलेख से अपलेखित किया जाता है **तथा उसकी** कीमत 198/- रुपये वन रक्षक श्री अलीदास भाषत, परिसर रक्षक से वसूल करने का आदेश पारित किया जाता है तथा लापरवाही बरतने के **फलस्वरूप** चरित्रावाली चेतावनी दी जाती है.

यदि किसी व्यक्ति को उक्त बीट हेमर मिले तो उसे समीपस्थ पुलिस थाना या वन कार्यालय में जमा करें. कोई व्यक्ति उसे अवैधानिक रूप से **रखे हुए** या उपयोग करते हुए पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 63 के अंतर्गत अभियोग लगाया जावेगा तथा वह **दण्ड का भागी होगा.**

ए. के. श्रीवास्तव,
वनमण्डलाधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2010.